

कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला एवं पदेन उप सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग
अधिसूचना धारा 11

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत)

क्र/ 39 / जि.भू.अ. / 2021-22

मंडला दिनांक 17/ 07/ 2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा (11) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

1. अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला पचासत मण्डला
शाखा का नाम E-Governance
दिनांक 22/7
म.का.अधि. / प्रभारी अधि

जिला	तहसील / रा.नि.म.	ग्राम / प.ह.न. / खसरा .न.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे.)	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
मंडला	नैनपुर रा.नि.म. नैनपुर	नैनपुर प.ह.न. 33 खसरा.नं. 492/2	0.240 (हेक्ट.)	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर	धावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु।

2. अर्जत की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

3. भूमि का विस्तृत परियोजना नक्शा साईट प्लान प्रतिवेदन (Detail Project Report) DPR का निरीक्षण

- 1) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नैनपुर जिला मंडला में किया जा सकता है।
- 2) कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर में किया जा सकता है।
- 3) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग-सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(श्रीमति हाथिका सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
जिला मंडला (म.प्र.)